विदर्भ क्षेत्र में रेलवे वैगन एण्ड कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से सभी सहुलियत देने के आश्वासन के बाद भी घोषणा न होने से वहां की जनता को आशंका है कि उक्त कारखाना किसी अन्य राज्य को न ले जाया जाए। मैं, रेल मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में सदन में घोषणा करें कि उक्त रेलवे वैगन एण्ड कोच कारखाना कब से कार्य प्रारम्भ कर देगा और किस जगह लगाया जायेगा। इस विषय को लेकर विदर्भ की जनता में उत्सुकता व्याप्त है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी भावनाओं का आदर करें।

(x) Industrial development of Jammu & Kashmir.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Sir, the Central Government should devise a comprehensive policy to give a filip to the economy of Jammu & Kashmir State. The State remained backward industrially due to the fact that the Central Government did not come forward for adequate funding for development in the State. Apart from a unit of HMT at Shalteng Srinagar, there is hardly any industrial unit that the Central Government set up in the State. The State has vast resource potential for development, but the same was not used for development of the State.

There is an impression that the Central Government would consider to grant funds for those sectors in the Jammu & Kashmir State for which it was not prepared to help previously.

The Central Government must evolve an economic policy whereby States like Jammu & Kashmir would be developed industrially and otherwise, irrespective of what Party is in power in these States.

(xi) Anti-labour attitude of Coal India Authority.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं कोयला उद्योग में श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बयान देता हूं :—

भारत वर्ष के कोयला उद्योग में ज्वाइन्ट बाइपरटाइट कमेटी आफ कोल इंडस्ट्री द्वारा हुए समझौते दिनांक 11 नवम्बर, 1983 के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लागू न करने के कारण 4 एवं 5 जून, 1984 को राष्ट्र व्यापी हड़ताल हुयी, जिसके प्रतिशोध-स्वरूप कोल इण्डिया लिमिटेड ने सभी अस्थायी कोयला श्रमिकों को सेवामुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त स्थायी कोयला श्रमिकों को "स्थानांतरण", "निलम्बन" "नौकरी में खण्ड" (ब्रेक इन सर्विस) आदि की एकतरफा कार्यवाही की।

भारतवर्ष के सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों ने कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ही उपरोक्त हड़ताल का आह्वान किया था, किंतु कोल इण्डिया लिमिटेड का फरमान जारी हुआ कि हड़ताल गैर-कानूनी है, जब कि कलकत्ता एवं जबलपुर उच्च न्यायालयों ने निर्णय (स्टे) दिया कि कोयला श्रमिकों का आठ दिन का वेतन न काटा जाए एवं अस्थायी श्रमिकों को सेवामुक्त न किया जाए।

मेरा शासन से अनुरोध है कि कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसे अविलम्ब समाप्त करने के आदेश प्रसारित कर देश भर में फैले लाखों कोयला श्रमिकों को न्याय दिया जाए।

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : Sir, I have to raise some point...

MR. DEPUTY SPEAKER : Have you given any notice under rule 377 ?

SHRI RAM PYARE PANIKA : No, Sir. I am on a point of order.

MR. DEPUTY SPEAKER : Under what rule ? There is vacuum in the House. There